भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4459
गुरुवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सासाराम में विमानपत्तन का विकास

4459. श्री मनोज कुमारः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सासाराम और आसपास के क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निवासी और पर्यटक पूरी तरह से पटना, गया और वाराणसी के विमानपत्तनों पर निर्भर हैं, जोकि 150-200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने सासाराम में विमानपत्तन के निर्माण के लिए बिहार राज्य सरकार से भूमि संबंधी अनुमोदन के साथ कोई प्रस्ताव मांगा है या प्राप्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अनुमोदन के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें उपयुक्त स्थल को चिह्नित करना होगा और व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन कराना होगा तथा 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

सासाराम में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए जीएफए नीति के तहत 'साइट क्लीयरेंस' मांगते हुए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने देश के असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़ देश का आम नागरिक) भी शुरू की है। सासाराम के पास रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन (सुअरा) हवाईपट्टी/ हवाईअड्डा 'उड़ान' दस्तावेज में एक असेवित हवाईअड्डे के रूप में सूचीबद्ध है। यदि कोई भी एयरलाइन बोली प्रक्रिया के भावी चरणों में डेहरी ऑन सोन को जोड़ने वाले मार्गों के लिए आवेदन करती है, तो उस पर 'उड़ान' योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।
